

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-31/2022-3134 व०प०, राँची, दिनांक- 20/10/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० (चतरा उत्तरी-61.772 हे०, चतरा दक्षिणी-119.8806 एवं लातेहार-15.3589 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-996 दिनांक-28.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई हेतु CWLW, झारखण्ड का मंतव्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1121

दिनांक 02/11/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी/चतरा दक्षिण एवं लातेहार वन प्रमंडल/मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि०, बरियातू, राँची को इस कार्यालय के ज्ञापांक 996 दिनांक 28.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी वांछित मंतव्य इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।